भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 717
05.02.2021 को उत्तर के लिए

रेलवे पटरियों पर जानवरों की मौत

717. श्री महेश साहू:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के विभिन्न अभयारण्यों से गुजरने वाली रेल पटरियों को पार करते समय हाथियों सहित कई जंगली जानवरों की मौतों पर ध्यान दिया है;
(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान ऐसी घटनाओं की कुल संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार का पशुओं की आवाजाही के लिए रेल पटरियों पर विशेष गलियारे बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;
(घ) क्या विशेष रूप से रात के दौरान अभयारण्यों से गुजरने वाली ट्रेनों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए या उसे मार्ग को एलिवेटेड ट्रैक के रूप में निर्माण के लिए कोई योजना परिकल्पित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) ओडिशा सरकार द्वारा यथा सूचित, गत पांच वर्षों के दौरान ओडिशा में सूचित किए गए हाथियों सहित वन्य पशुओं की मृत्यु का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अनुरोध करते हुए एक परामर्शिका जारी की है कि रेलवे परियोजनाओं सहित संरेखीय अवसंरचना हेतु प्रस्तावों पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा विचार करने के भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज- ''वन्यजीवों पर संरेखीय अवसंरचना के प्रभाव का शमन करने के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल उपाय' के आधार पर राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन के साथ परामर्श करके मामला-दर-मामला आधार पर तैयार की गई पशु मार्ग योजना और अन्य उपशमन उपायों सहित प्रस्तुत

करेंगे। ये दिशानिर्देश संरेखीय अवसंरचना के डिजाइनों में संशोधन करने का सुझाव देते है जिससे वन्यजीवों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा।

(ड.) राज्य द्वारा ऐसी घटनाओं की रोकथाम करने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

i. वन्य पशुओं और उनके पर्यावासों को संरक्षित करने हेतु वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत पूरे देश में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्रों नामत: राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों को अधिसूचित किया गया है। सुरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या और उनमें शामिल किया गया क्षेत्र, क्रमश: वर्ष 2015 में 759 और 1,61,974.90 वर्ग कि.मी. से बढ़कर वर्ष 2020 में 903 और 1,65,012.59 वर्ग कि.मी. हो गया है।

ii. वन्यजीवों के संरक्षण को और सुदृढ़ करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के इर्द-गिर्द पारि-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) भी अधिसूचित किए हैं।

iii. मंत्रालय पशु/पक्षियों की लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके पर्यावास में सुधार करने सहित वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास' (आईडीडब्ल्यूएच) की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के तहत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासन को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

****

अनुबंध-I

'रेलवे पटरियों पर जानवरों की मौत' के संबंध में श्री महेश साहू द्वारा दिनांक 05.02.2011 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 717 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष	**हाथी**	**भालू**	**स्पाटेड डियर**	**हनी बैजर**	**जंगली सुअर**
2015-16	1	-	-	-	1
2016-17	-	-	-	-	-
2017-18	2	1	-	-	-
2018-19	7	-	5	1	-
2019-20	1	1	2	-	-
कुल	**11**	**2**	**7**	**1**	**1**

****